महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में कोरोना ने तोड़े रिकॉर्ड,16 हज़ार से ज्यादा नए केस, 138 की मौत

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, प्रदेश में आज 16083 कोरोना के नए मरीज मिले है, वहीं 138 लोगों की मौत भी हुई है। रायपुर में सर्वाधिक 73 लोगों की मौत हुई है, वहीं बालोद में 10 और बिलासपुर में 18 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में 3603 नए मरीज मिले है, वहीं दुर्ग में 1887, राजनांदगांव में 911, बिलासपुर में 1306, कोरबा में 1064 नए मरीज मिले हैं।

राज्य के 11 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सूरजपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं ठेले वालों को घूम-घूम कर सब्जी बेचने की अनुमति दी गई है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक सब्जी बेचने का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान इन जिलों में सब्जी विक्रेताओं को छूट रहेगी। स्ट्रीट वेंडर्स गली-मोहल्ले में घूमकर सब्जी, फल सहित अन्य सामानों का विक्रय कर सकेंगे। वहीं, पाबंदी के दौरान अति आवश्यक सेवाओं को भी छूट दी गई है। छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में लाकडाउन बढाया गया है उनमें:-

1. दुर्ग- 6 अप्रैल से 19 अप्रैल- 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया
2. रायपुर- 9 अप्रैल से 19 अप्रैल- 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया
3. राजनांदगांव- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल- 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया
4. बेमेतरा- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल
5. बालोद- 10 अप्रैल से 19 अप्रैल- 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया
6. बलौदाबाजार- 11 अप्रैल से 21 अप्रैल
7. कोरिया- 11 अप्रैल से 19 अप्रैल
8. धमतरी- 11 अप्रैल से 26 अप्रैल
9. जशपुर- 11 अप्रैल से 18 अप्रैल- 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया
10. कोरबा- 12 अप्रैल से 21 अप्रैल- 27 अप्रैल तक बढ़ाया गया
11. सूरजपुर- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल ड्ड 26 अप्रैल तक बढ़ाया
12. सरगुजा- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल
13. जांजगीर- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल
14. गरियाबंद- 13 अप्रैल से 23 अप्रैल- 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया
15. बिलासपुर- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल
16. रायगढ़- 14 अप्रैल से 22 अप्रैल- 27 अप्रैल तक बढ़ाया गया
17. महासमुंद- 14 अप्रैल से 22 अप्रैल- 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया
18. मुंगेली- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल
19. बलरामपुर- 14 अप्रैल से 25 अप्रैल
20. पेंड्रा- 14 अप्रैल से 21 अप्रैल- 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया
21. कवर्धा- 15 दिन का अंशिक लॉक डाउन

22 जगदलपुर- 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक

23. बीजापुर- 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक
24. दंतेवाड़ा- 18 अप्रैल से 27 अप्रैल तक
25. नारायणपुर- 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक तक बढाया गया है लाकडाउन।

गृहमंत्री ने लाकडाउन का जायजा लिया

रायपुर। प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने के कारण कलेक्टर रायपुर द्वारा लगाए गए लाकडाउन का पुलिस कर्मियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चौक चौराहों पर ड्यूटी में तैनात सिपाहियों से गृहमंत्री ने उनका हालचाल पूछा। साथ ही वे शहर का निरीक्षण करने के उपरांत दुर्ग की ओर रवाना हुए। पुलिस कर्मियों से चर्चा के दौरान गृहमंत्री ने कोविड से मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने शहर में शनिवार को पचपेढ़ी नाका स्थित राजधानी हास्पिटल में हुई आगजनी पर दुख व्यक्त किया।

बोडराबांधा जंगल में मृत मिला दो नर तेंदुआ, एक का चारों पंजा कटा, तो दूसरे का फटा था पेट

» स्निफर डॉग स्क्वॉड की मदद से तीन संदेही हिरासत में, टीम कर रही पूछताछ

महासमुंद, 18 अप्रैल (आरएनएस)। बागबाहरा वन परिक्षेत्र के ग्राम बोडराबांधा जंगल में दो नर तेंदुआ मृत अवस्था में मिला है। एक तेंदुए का चारों पंजा गायब है, लेकिन दूसरे का शव सही सलामत है। शिकार की अशंका जताई जा रही है, लेकिन वन विभाग को एक बात खाई जा रही है। कि शिकारी ने दूसरे तेंदुए के पंजों को क्यों नहीं काटा? अफसर इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विभाग जांच में जुट गई है। जंगल

में मृत मिले दोनों तेंदुए का शव देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दो से तीन दिन पुराना है। शिकार की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दोनों की मौत कैसे हुई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम ने रायपुर से स्निफर डॉग की मदद से आसपास के तीन ग्रामीणों को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ कर शुरू कर दी है। शिकार के एंगल से फारेस्ट की टीम जांच में जुट गई है। डीएफओ पंकज सिंह राजपूत का कहना है कि दो नर तेंदुए की लाश आमाकोनी बोडराबांधा जंगल के पास मिली है। एक का उम्र 3व दुसरे का पांच साल है। पांच साल वाले तेंदुए का चारों पंजा गायब है। तीन साल वाले तेंदुए का शव सही है। इस मामले में जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। उन्होंने बताया कि तेंदुए के शरीर के कुछ अंश को फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं। दोनों तेंदुए का पीएम होने के बाद उसका जंगल में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

गरियांबद व बागबाहरा क्षेत्र में तेंदुए की रहती है चहलकदमी- वनमंडलाधिकारी ने बताया कि बागबाहरा व नीचले हिस्से गरियांबद जिले के छुरा ब्लॉक के जंगलों में तेंदुए चहलकदमी है। इस क्षेत्र घना जंगल है, और इनका झुंड भी है। भोजन की तलाश में ये घुमते हुए इस क्षेत्र में क्षेत्र में आए हुए थे। इसी दौरान शिकारियों ने अपना शिकार बना लिया।

विभाग ने नहीं रखा निगरानी , इधर, हुए शिकारी सक्रिय- वन्यप्राणियों की निगरानी में वन विभाग लापरवाहीबरत रहा है। लगातार वन्यप्राणियों के शिकार हो रहे हैं। इधर, विभाग की नाकामी के चलते शिकारी क्षेत्र में सक्रिय हो गए है। मौके का फायदा उठाकर शिकार रह रहे हैं। बता दें कि विगत दिनों पूर्व नर व मादा तेंदुआ पिथौरा के ग्राम टेका के पास एनएच-53 क्रास कर जंगल की ओर जा रहा था, उसी दौरान ट्रक की चपेट में आने से नर तेंदुए की मौत हो गई। मादा तेंदुआ कहां है, इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है। क्षेत्र में तेंदुए की आमद लगातार है, लेकिन विभाग निगरानी नहीं रख रहा है।

पिछले पांच सालों में चार तेंदुए सहित 20 वन्य प्राणियों के शिकार

वन्य प्राणियों के शिकार पर यदि नजर डाले तो पिछले साल 12 वन्य प्राणियों के शिकार हुए है। इसमें दो तेंदुए और हाथी, भालू, चीतल, सांभर, हिरण, जंगली सुअर व गौर शामिल है। वहीं पांच साल के आकड़ों पर गौर करें तो 20 वन्यप्राणियों को शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। यह आकड़ा वन

कोरोना नियंत्रण के लिए शिक्षक कर रहे लोगों को जागरूक

कोरबा (आरएनएस)। जिलाशिक्षा अधिकारीसतीश पांडे के पहल व कुशल मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के शिक्षको द्वारा कोविड नियंत्रण जनजागरूकता अभियान सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है जिसके लगातार सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षको द्वारा छात्रों, पालको, समाज के लोगों, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों,मध्यान भोजन की स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की काउंसलिंग निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में काउंसलिंग की सार्थकता,उपयुक्तता को बढ़ाते हुए अब इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि वे भी बच्चों, पालकों, स्थानीय समुदाय को सम्बोधित कर कोरोना से बचने के उपाय बता सकें। शिक्षा विभाग का यह पहल महत्वपूर्ण अभियान साबित हो रहा है। अभियान का उद्देश्य कोविड से सम्बंधित अधिक से अधिक जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाना है। अभियान में प्रतिदिन नये-नये तरीके से कोविड से बचने के उपाय बताये जा रहें मिडिल स्कूल आमापाली के शिक्षक मुकुन्द उपाध्याय द्वारा, लगातार अपील पत्र, नारा, कोविड रोकथाम सम्बन्धी बनाकर विभिन्न शिक्षक व्हाट्सएप समूह व जन समूह में भेजा रहा है, वहीं श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरदा द्वारा तरह तरह की पेंटिंग, पोस्टर, व जूम से मीटिंग कर जानकारी दी जा रही हैं। जिला शिक्षाधिकारी सतीश पांडे भी लगातार जूम मीटिंग ले रहे है। अभियान में श्रीमती फरहान अली,राकेश टण्डन, निशा चंद्रा,कामता जायसवाल, भूपेंद्र राठौर, अजय श्रीवास्तव, दिलकेश मधुकर, सादिक अंसारी, के अलावा जिले के सैकड़ों शिक्षक शामिल हैं।

बिलासपुर में भी बढ़ेगा लॉकडाउन, जिला प्रशासन ने दिए संकेत

बिलासपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में लॉकडाउन की मियाद 26 अप्रैल तक बढ़ सकती है। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने संकेत दिए हैं। हालांकि राशन और सब्जी समेत कुछ चीजों को लेकर आंशिक छूट भी जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक शनिवार को जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है, राजधानी रायपुर की तरह ही बिलासपुर में भी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन किया जाएगा। इस संदर्भ में सोमवार तक

आदेश जारी कर दिया जाएगा।

गौरतलब हो कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिलासपुर कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने जिले में 8 दिन लॉकडाउन किया है। जो 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है, और 21 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।

सभी प्रकार की मंडियों, थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों/उत्पादको से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को मोहल्ले व कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालो को निर्धारित समय अंतराल के अंतर्गत मिल सकती है। किन्तु मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे, निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही करेंगे।

उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी।

बैंक/शाखा संचालन की मिल सकती है शर्तों के साथ अनुमति

उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खुलने की अनुमति होगी किन्तु दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक / शाखा संचालन की अनुमति नही होगी।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी।

अस्पताल में आग लगने से पांच की मौत, कोविड वार्ड में थे मरीज भर्ती

» अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। शहर के पचपेड़ीनाका इलाके में स्थित राजधानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कोरोनावार्ड में आग लगने की से 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार दुर्गाचौक भाठागांव रायपुर निवासी नरोत्तम प्रसाद सोनकर 34 वर्ष ने टिकरापारा थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि,प्रार्थी का पिता भक्तशरण सोनकर 60 वर्ष निवासी का स्वास्थ्य खराब होने के चलते 14 अप्रैल को राजधानी सुपरसपेस्लिटी अस्पताल पचपेड़ीनाका में ले गया था। जहां टेस्ट के दौरान डॉक्टर द्वारा प्रार्थी के पिता को कोरोना पाजिटिव होना बताए जाने पर उपचार के लिये 15 अप्रैल को राजधानी अस्पताल के द्वितीयतल में एस आईसीयू कमरा नंबर 115 में भर्ती किया था। 17 अप्रैल को अस्पताल के बाहर पीड़ित ग्रेनाईट दुकान में बैठा था तभी शाम 4.15 बजे अस्पताल के दूसरे मंजिल से धुंआ निकलते देख अस्पताल के अंदर गया जहां अफरा-तफरी मची हुई थी। एस आईसीयू रुम में काफी धुंआ भरा हुआ था अंदर जाकर अपने पिता को नीचे उठाकर लाने पर उनका चेहरा काला पड़ गया था। तुरंत एंबुलेंस से संजीवनी अस्पताल दावड़ा कालोनी ले जाने पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अस्पताल में अग्निशमन की कोई पर्याप्त व्यवस्था नही की गई है। और वहां पर आग बुझाने के लिये कोई संयंत्र भी नही है। अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही व असुरक्षा के कारण अस्पताल में आग लगने से प्रार्थी के पिता की मौत हो गई तथा अस्पताल में भर्ती मृतिका वंदना जगमलानी 43 वर्ष पति दिलीप जगमलानी निवासी खैरागढ,रमेश साहू 39 वर्ष पिता विष्णु साहु निवासी मडमडा चौकी कवर्धा, ईश्वर राव 53 वर्ष पिता नारायण राव निवासी भिलाई जी केबिन दुर्ग, देवकी सोनकर 45 वर्ष पति रामकुमार सोनकर निवासी खटटी मगरलोर धमतरी, की दम घुटने से मौत हो गई। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। घटना की संबंध में आईसीयू वार्ड के पंखे में आग लगना बताया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर बिग्रेड की टीम ने आग पर काबु पाने तथा मरीजों की जान बचाने के लिये अपनी जान की परवाह किये बिना अस्पताल का कांच तोड़कर धुंआ बाहर निकाला। वहीं इस घटना को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद दुर्भाग्यजनक बताया और हादसे में मृत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर डॉ.एस भारतीदासन ने और एसएसपी अजस यादव ने घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यहां मदद कार्यो का अवलोकन किया। हादसे में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने दुख जताया है व उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

एयरपोर्ट से वैक्सिन लेकर लौट रही वैन से बाइक सवार टकराए, एक की मौत, दो गंभीर

रायपुर (आरएनएस)। एयरपोर्ट से वैक्सिन लेकर आ रही वेन से तीन बाइक सवार टकरा गए जिसके चलते एक की मौत हो गई वहीं दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी वैन वैक्सिन लेकर एयरपोर्ट से शहर की ओर आ रही थी तभी तेज रफ्तार बाइक सवार अनियंत्रित होकर वेन से टकरा गए। जिसके चलते घटनास्थल पर एक की मौत हो गई वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो जाने पर एम्बुलेंस से मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिनका इलाज चल रहा है।

एंटीजन के नतीजे बता रहे दुर्ग जिले में एक हफ्ते में 22 प्रतिशत घटा संक्रमण

» दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने में कारगर साबित होता दिख रहा लाकडाउन का निर्णय

रायपुर (आरएनएस)। बीते एक हफ्ते में दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण 22 फीसदी घट गया है। 10 अप्रैल को लगभग 2596 लोगों के एंटीजन टेस्ट किये गए, इनमें 1259 पाजिटिव आये। यह कुल आँकड़ों का 48 प्रतिशत थे। 17 अप्रैल यानी शनिवार को 3215 लोगों की टेस्टिंग एंटीजन के माध्यम से हुई। इनमें 815 पाजिटिव आये। यह कुल आँकड़ों का 26 प्रतिशत है। बीते चार दिनों के आँकड़े देखें तो संक्रमण का दर क्रमशः 30, 32, 33 एवं 26 प्रतिशत रहा है। इस तरह एंटीजन टेस्ट में हुई क्रमशः गिरावट यह साबित

करती है कि लाकडाउन जिले में प्रभावी होता दिख रहा है और कोरोना संक्रमण पर इससे रोकथाम लगी है। चूँकि एंटीजन टेस्ट के रिजल्ट मौके पर ही मिल जाते हैं इसलिए इनके नतीजे हर दिन के संक्रमण की स्थिति स्पष्ट रूप से बयान करती है। दुर्ग जिले में 6 अप्रैल को लाकडाउन लगाया गया। इस दिन 2659 टेस्ट हुए और 529 पाजिटिव हुए। यह कुल मरीजों का 20 प्रतिशत था। अगले दिन यह आँकड़ा 34 प्रतिशत रहा, फिर इसके बाद दो दिनों तक 40 और 41 प्रतिशत रहा फिर अगले दो दिन 48 प्रतिशत तक रहा। इससे यह पता चलता है कि संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा था। लाकडाउन ने इसकी गति पर रोक लगाई। यदि लाकडाउन नहीं लगाया जाता तो यह प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता। इन आँकड़ों से साफ जाहिर है कि लाकडाउन की टाइमिंग बिल्कुल सही थी और इसके नतीजे प्रभावी रहे हैं।

संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए लाकडाउन है सबसे प्रभावी तरीका- लाकडाउन से वायरस के प्रसार की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि जब उसे संक्रमण के लिए नये शरीर नहीं मिलते तो इसके फैलने की दर घटने लगती है। यही वजह है कि दुनिया के सभी देशों में लाकडाउन का उपयोग बड़े समुदाय तक संक्रमण को रोकने के लिए हुआ है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक संबंधी आदेश का पालन करते हुए 19 से उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण प्रारंभ किया जायेगा

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत रायपुर जिले में जारी लॉकडाउन एवं प्रतिबंधात्मक संबंधी आदेश का पालन करते हुए 19 अप्रैल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानो से हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जिला खाद्य नियंत्रक रायपुर ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन की अनुमति शर्तो के अधीन दी गई है। 19 अप्रैल से जिले की 113 , 23 अप्रैल से 113 , 27 अप्रैल से 187 और 28 अप्रैल से 169 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन वितरण का कार्य किया जाएगा । लॉकडाउन के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकानों के खोलने का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।

उचित मूल्य दुकान संचालक तथा विक्रेता /तौलक द्वारा अनिवार्य रूप से गुणवत्ता स्तर का मास्क पहना जावे तथा दुकान में रोनेटाईजर साबुन, पानी की उपलब्धता बनायी रखी जाये।

प्रतिदिन दुकान खोलने के बाद दुकान को सेनेटाईज करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से की जाये तथा दुकान के आसपास साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु आने वाले हितग्राहियों के मध्य उचित सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये दो-दो गज की दूरी पर खड़े होने के लिये स्थान का चिन्हांकन किया जाये तथा इसका कड़ाई से पालन भी कराया जाये।

उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिये भौगोलिक क्षेत्र जैसे-वार्ड/मोहल्ला/ग्रामवार प्रति दिन अपनी उचित मूल्य दुकान से संलग्न सामान्यतः 75 हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण किया जाये।

हितग्राहियों को राशन सामग्री प्राप्त करते समय मास्क लगाये रखने की हिदायत दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थिति में हितग्राही द्वारा मास्क नहीं उतारा जाए।

उचित मूल्य दुकान स्तर पर किसी भी परिस्थिति में अनियंत्रित रूप से हितग्राहियों की भीड़ जमा न होने दिया जाये, उचित चिन्हांकित स्थान पर कतारबद्ध होकर अपनी बारी आने पर राशन सामग्री प्राप्त करने की हिदायत दी जाये।उचित मूल्य दुकान पर कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम के लिये सामाजिक दूरी एवं मास्क की अनिवार्यता के संबंध में बैनर/ पोस्टर का प्रदर्शन किया जाये।